MR. CHAIRMAN: Shri Pyarelal Khandelwal...*(Interruptions)*...

SHRI JIBON ROY (West Bengal): Sir, the Government should make a statement on this issue.

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल (मध्य प्रदेश): महोदय....

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): महोदय, मैं इसमें एक मुद्दा जोड़ना चाहूंगी। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप पहले उन्हें बोलने दीजिए।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार गैस-पीड़ितों को जो मुआवजा दिया जा रहा है, वह बहुत देर से और बहुत कम दिया जा रहा है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि वहां के गैस-पीड़ितों को पर्याप्त मात्रा में राहत राशि मिले। महोदय, अभी जो मुआवजा दिया जा रहा है, वह बहुत कम है और केन्द्र सरकार इस संबंध में उदासीन है। इसलिए मेरा कहना है कि केन्द्र सरकार उस राशि का बढ़ाकर वितरित करने की व्यवस्था करे।

श्री विक्रम वर्मा (मध्य प्रदेश): महोदय, इसमें गैस-पीड़ितों का एक बड़ा हिस्सा छूट गया है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आज इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। ...(व्यवधान)... आप चर्चा उठाना चाहें तो उसके लिए अलग नियम बने हुए हैं, उनके तहत चर्चा उठा लें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आज इस विषय पर चर्चा नहीं हो रही है।

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं श्री खंडेलवाल से अपने को संबद्ध करती हूं।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को उनसे संबद्ध करता हूं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: महोदय, भोपाल में जितने व्यक्ति इससे प्रभावित हुए हैं, उनका जिस समय मूल्यांकन किया गया था, उस समय यह संख्या एक लाख थी, लेकिन आज यह संख्या कई गुणा बढ़ गई है जो राहत राशि साढे पांच लाख लोगों में बांटी जानी थी, वह एक लाख लोगों में बांटी गयी है। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Shrimati Sushma Swaraj.

Arrrest of Kanchi Peeth Shankaracharya Shri Jayendra Saraswati

श्रीमती सुषमा स्वराज (उत्तरांचल): सभापति जी, आज आपकी अनुमति से मैं इस सदन में जिस विषय को उठाने के लिए खड़ी हुई हूं, उसे उठाते हुए मेरे मन में ...(व्यवधान)...

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu): I requst to the Chairman ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please listen to me. She has not raised the issue as yet.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: How do you know what am I going to say ...*(Interruptions)*... First you listen to me what I am going to say, only then you can react. I have not yet opened my mouth. सभापति जी, मैं यह कह रही थी कि जिस विषय को मैं आपकी अनुमति से सदन में उठाने के लिए खड़ी हुई हूं, उसे उठाते हुए मेरे मन में आक्रोश और वेदना का मिला-जुला भाव उभर रहा है। आक्रोश इसलिए है कि एक राज्य की सत्ता के द्वारा एक धार्मिक संस्था पर आक्रमण किया जा रहा है और वेदना इसलिए है कि हमारे प्रमुख धर्म गुरु जेल में हैं।

SHRI P.G. NARAYANAN: Sir, I request the Chair ...*(Interruptions)*...

श्री सभापतिः ठीक है, आप बोल लीजिए। ...*(Interruptions)*...

SHRI P.G. NARAYANAN: Sir, law and order is a State subject. Merits of criminal cases, especially, of a murder case, cannot be discussed in Parliament. ...*(Interruptions)*... The matter is *sub judice.* ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: If the hon. Member tries to go into the merits of the case, then you can object. ...*(Interruptions)*... She is not speaking on the merits of the case. She knows it very well that this a *sub judice* matter. ...*(Interruptions)*...

SHRI P.G. NARAYANAN: She is speaking about Shankaracharya. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: The case is *sub judice.* ...*(Interruptions)*... I can tell you that the case is *sub judice.* The hon. Members speaking on this matter will take precaution that a *sub judice* matter should not be discussed on merits. ...*(Interruptions)*...

SHRI P.G. NARAYANAN: ... but how can she raise it?

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Let me reply. ...*(Interruptions)*... Let me reply. I will reply to you. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Which matter is *sub judice?* ...*(Interruptions)*...Which mater is *sub judice?* ...*(Interruptions)*...

SHRI P.G. NARAYANAN: Sir, this matter is *sub judice*. ...*(Interruptions)*... Sir, after that, I may be given a opportunity to have my full say on this matter. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Sir, you must give him opportunity.

DR. K. MALAISAMY (Tamil Nadu): Sir, I may also be given a minute. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, अपनी बात कहने से पहले मैं नारायणन जी को आश्वस्त करना चाहूंगी, पता नहीं, उन्हें शायद मालूम भी हो, मैं पेशे से वकील हूं और पिछले 27 वर्षों में विभिन्न विधायिकाओं में भी रही हूं, विधान सभा में, लोक सभा में, दूसरी बार राज्य सभा में हूं। मैं इस सदन के नियमों, उप-नियमों से वाकिफ हूं और देश की कानून -व्यवस्था से भी परिचित हूं। मुझे मालूम है कि सब-जुडिस मैटर क्या होता है। इस केस के बहुत-से पहलू हैं, जो अदालत में लंबित हैं, जिन पर अदालत को निर्णय लेना है। मैं उनको छुऊंगी भी नहीं, लेकिन मैं एक निवेदन नारायणन जी से भी करना चाहती हूं कि इस तरह के विषयों को उठाने के लिए ब्लैंकेट बैन, पूर्ण प्रतिबंध लगाने की परंपरा न डालें वरना इन्हें एक दिन पछताना पड़ सकता है। पता नहीं, कब इनके अपने ही नेता इस तरह के दुर्व्यवहार कर शिकार हो जाएं और तब अपने ही बुने हुए जाल में यह फंस जाएं। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि जो सीमाएं अपने रखी हैं, जिनका जिक्र अभी आपने पीठ से किया है, मैं उन सीमाओं को लांघने की धृष्टता बिल्कुल नहीं करूंगी और अपनी परिधि में रहकर अपनी बात कहूंगी, लेकिन पूरी वेदना के साथ मैं अपनी बात सदन में रखना चाहती हूं।

सभापति जी, हमारे देश में कानून का शासन चलता है और इसीलिए व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर उस पर कोई आरोप लगता है तो उसे गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन जो कानून गिरफ्तारी का आदेश देता है, वही कानून आरोपी और अपराधी में तमीज भी करता है, अंतर भी करता है और वही कानून इस बात का संज्ञान भी लेता है कि आरोपी की सामाजिक प्रतिष्ठा क्या है, उसकी पढ़ाई क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसका रुतबा क्या है। बहुत बार राजनेताओं पर भी आरोप लगते हैं, गिरफ्तारी होती हैं, इस सदन में भी बैठे हैं, उस सदन में भी बैठे हैं और यह नहीं कि राजनैतिक मामलों में गिरफ्तारी हुई हैं, बहुत बार आपराधिक मामलों में भी गिरफ्तारी होती हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करके किसी अतिथि-गृह, किसी विश्राम-गृह, किसी डाक-बंगले को जेल घोषित करके रखा जाता है। उनकी पोजीशन के मुताबिक उनके लिए सुविधाएं जुटाई जाती हैं, उनके साथ भद्रता का व्यवहार किया जाता है। ...**(व्यवधान)**...

SHRIMATI S.G. INDIRA (Tamil Nadu): No; no.

MR. CHAIRMAN: Let her speak. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI S.G. INDIRA: He may be having a status. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: आप बाद में अपनी बात कर लीजिए। ...(**व्यवधान**)... Please take your seat. ...*(Interruptions)*... Don't disturb. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI S.G. INDIRA: But he is involved in a murder case. ...*(Interruptions)*... This is a murder case. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. ...*(Interruptions)*... Please don't disturb. ...*(Interruptions)*... Please don't disturb. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI S.G. INDIRA: Before ten years. ...*(Interruptions)*... Sir, we won't allow her to speak. ...*(Interruptions)*... She is making a political speech. A lady writer, ten years ago ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please do not bring all those matters which are pending in the court. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, ये लोग ला रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप मत लाइए ...(**व्यवधान**)... You are bringing in all those matters. ...*(Interruptions)*...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI (Uttar Pradesh): Such matters must be expunged. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: These remarks should be expunged. ...*(Interruptions)*...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Such matters which are *sub judice* and are being discussed here should be expunged. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You know the rules. ...*(Interruptions)*... One minute, please take your seat. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. ...*(Interruptions)*... Please take you seat. ...*(Interruptions)*...

AN HON. MEMBER: Sir, I may be given one minute. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: There is no question of one minute or two minutes. When I decided to allow Shrimati Sushma Swaraj, your leader was sitting with me, and you were also there. Both of you were there. I asked Sushmaji that the matter which is pending in the court should not be, in any way,

brought in the debate of the House. She agreed. Then, let her speak. She is not saying all these things. ...*(Interruptions)*... Not at all. ...*(Interruptions)*... I am here. If the matter comes, I will check that. ...*(Interruptions)*...

SHRI P.G. NARAYANAN: It is for the Court. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: आप छोड़िए, It is not for the Court. ...*(Interruptions)*...

SHRI N. SHUNMUGASUNDARAM (Tamil Nadu): The issue of detaining persons in 'dak bungalows' has been discussed in the High Court and the High Court has rejected it. Should we go into that? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, no. First, listen to her. Please, listen to her.

DR. K. MALAISAMY: Mr. Chairman, Sir, would you please allow me to speak for a minute at the end?

MR. CHAIRMAN: I shall allow you to speak for one minute, two minutes or more, after she has completed her speech.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, मैं यह कह रही थी कि इस तरह के व्यवहार का जब कभी उल्लंघन होता है तो यह सदन उसका नोटिस लेता है मैं याद कराना चाहूंगी नारायणन जी को कि इन्हीं की नेता के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था जेल में भेजते समय, एक बार करुणानिधि के साथ भी उसी तरह का व्यवहार किया गया था। इस सदन में दोनों राजनीतिक दल, जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं तमिलनाडु के, उनके सांसदों ने यहां यह सवाल उठाया था और इस सदन ने नोटिस लिया था। अब यह नहीं हो सकता कि राजनेताओं के साथ दुर्व्यवहार हो तब तो यह सदन नोटिस ले लेकिन अगर धर्मगुरुओं के साथ दुर्व्यवहार हो तो यह सदन नोटिस न ले। यह सदन देश का सदन है, राजनेताओं का सदन नहीं है। ...(व्यवधान)... यह देश की सर्वोच्च संसद है और सर्वोच्च संसद का भी उच्च सदन है यह। सभापति जी, केवल राजनेताओं की बात नहीं करते हैं, जब पत्रकारों पर आरोप लगते हैं, तब क्या कहा जाता है। अभी तमिलनाडु में हुआ, ''हिन्दू'' के ऐडिटर एन॰ राम के भाई एन॰ राव के विरुद्ध जब वारंट जारी किया गया तो क्या कहा गया? वे एक सम्मानित सम्पादक हैं, इसलिए उनके साथ भद्रता का व्यवहार होना चाहिए। जब उद्योगपति गिरफ्तार होते हैं तो कहा जाता है वे देश के बड़े प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं ...(व्यवधान)...

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): There is not even one. ...*(Interruptions)*... not even one. ...*(Interruptions)*... Give me one example.

श्री सभापति: बागड़ोदिया जी, आप उद्योगपतियों के नाम से क्यों चिढ़ गए?

श्री संतोष बागड़ोदिया: वे गलत बोल रही हैं। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, मैं यह बताना चाहता हूं।

श्री सभापति: बैठिए, बैठिए। ...(**व्यवधान**)... ठीक है, बैठिए। देखिए, बात ठीक बोल रही हैं।

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल): हमको भी मौका दिया जाए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, यहां एक प्रमुख धर्मगुरु को दीपावली की पूर्व रात्रि को गिरफ्तार किया गया क्योंकि दिन की अहमियत होती है और दिन की अहमियत इस सदन से ज्यादा, इस सत्र से ज्यादा किसे पता होगी। सभापति जी, यह शीतकालीन अधिवेशन है और आपको मालूम है कि शीतकालीन सत्र की अवधि तय करते समय हर सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है, हर पीठासीन अधिकारी ने इस बात का ध्यान रखा है कि 25 दिसम्बर से दो दिन पहले सत्र जरूर समाप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि 25 दिसम्बर का बहुत बड़ा त्यौहार होता है क्रिसमस का। हम यह चाहते हैं कि हमारे क्रिश्चियन सांसद अपने-अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंच जाएं और अपने घर में बैठकर यह त्यौहार मनाएं। मेरे पीछे बैठे हैं, श्री प्रमोद महाजन जो संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं, सामने हैं श्री सुरेश पचोरी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और हम सबने इस बात को देखा है कि पिछली बार 1 दिसम्बर को सैशन शुरू करना पड़ा था मुझे, जब मै संसदीय कार्य मंत्री थी, क्योंकि चुनाव हो रहे थे। किसी भी सत्र की अवधि बढ़ाने की गुंजाइश होती है लेकिन शीतकालीन सत्र की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि क्रिसमस है। हम हर धर्मावलम्बियों की भावनाओं का ध्यान रखकर ऐसा करते हैं। लेकिन जान-बूझकर दीपावली की पूर्व रात्रि चुनी गई ताकि हमारे घावों को और गहरा धक्का लगे कि दीपावली की पूर्व रात्रि को, हिन्दुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली, ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: बैठिए, बैठिए। इतना गुस्सा मत कीजिए। Please take your seat. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI S.G. INDIRA: Sir, it was not Diwali in Tamil Nadu ...*(Interruptions)*... It was not Diwali in Tamil Nadu on that day ...*(Interruptions)*... It was only the day after Diwali. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please, take your seat. Please, take your seat. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: इतना गुस्सा मत करिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, गिरफ्तार करना था तो दो दिन रुका भी जा सकता था, दीपावली निकल जाती, लोग त्यौहार मना लेते, लेकिन नहीं। और क्या असत्य प्रचार किया

गया कि एक हेलिकॉप्टर खड़ा है, वे तो उससे भाग जाना चहते थे रात को। सभापति जी, ...(व्यवधान)... आप लोग चुप रहिए।...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please, take your seat ...(*Interruption*)... don't disturb...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, आप भी हेलिकॉप्टर से उड़ते हैं।...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: I will look into it. ...(*Interruption*)... I shall allow you to speak. Please, don't speak now. ...(*Interruption*)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: पूरे देश में एक असत्य प्रचार किया गया कि हमें आज का दिन इसलिए चुनना पड़ा कि वे तो रात को हेलिकॉप्टर से नेपाल भाग जाते। सभापति जी, आप भी हेलिकॉप्टर से चलते हैं, क्या कोई हेलिकॉप्टर सूर्यास्त के बाद उड़ सकता है? क्या 6.00 बजे के बाद उसको उड़ने की इजाज़त होती है और क्या कोई पुणे से लेकर नेपाल तक हेलिकॉप्टर में जा सकता है? क्या रास्ते में भारत के किसी हवाई अड्डे पर उतरकर उनको दोबारा से ईंधन भरवाना नहीं पड़ता? लेकिन इन तकनीकी चीज़ों की जानकारी आम आदमी को नहीं है, भोले-भाले लोगों को इसलिए गुमराह किया गया, चलिए, दीपावली के पूर्व रात्रि को गिरफ्तार हुए लेकिन गिरफ्तार करके इस समय पर, ...(व्यवधान)... सभापति जी, ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप बोलने दीजिए।...(व्यवधान)... आप बोल लेना ना Please take your seat, don't disturb her. Mr. Ajay Kumar, Please don't disturb. बैठिए, बैठिए ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य एक बात का ध्यान रखें, एक मिनट बैठ जाइए, Please, sit down एक बात का ध्यान रखें कि ऐसे मसले सभी पार्टियों के माननीय सदस्य उठाते हैं। मैं समझता हूं कि ये बोल लें तो उसके बाद कोई आपत्तिजनक बात हो तो मैं आपको allow करूंगा, इसलिए इनको बोल लेने दीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: धन्यवाद सभापति जी, सभापति जी अच्छा है कि यहां पर गृहमंत्री बैठे हैं क्योंकि यहां पर केन्द्र सरकार की भी भूमिका आती है। क्योंकि उनको तमिलनाडु से गिरफ्तार नहीं किया गया, तमिलनाडु के किसी नगर से भी गिरफ्तार नहीं किया गया, उन्हें गिरफ्तार कहां से किया गया? आन्ध्र प्रदेश से, महबू नगर से, महबूब नगर आंध्र प्रदेश में है और आप जानते हैं कि हमारे देश का कानून यह कहता है कि अगर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाकर किसी को गिरफ्तार करती है तो उस राज्य की पुलिस का सहयोग लिए बिना नहीं कर सकती, तो तमिलनाडु पुलिस ने संपर्क साधा आंध्र प्रदेश की पुलिस से। अब इतने बड़े व्यक्ति की गिरफ्तारी थी। आंध्र प्रदेश के पुलिस अधिकारी सीधे तो उन्हें नहीं सौंप सकते थे। इसलिए पुलिस अधिकारियों ने चीफ मिनिस्टर से संपर्क साधा और उनसे कहा, सर ऐसी ऐसी बात है, उनको लेने आए हैं, यह इतना बड़ा मसला था कि आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री भी स्वयं निर्णय नहीं कर सकते थे

इसलिए बकौल उनके, मैं नहीं कह रही हूं, बकौल मुख्यमंत्री आंध्रप्रदेश के उन्होंने दिल्ली से संपर्क साधा, मुझे नहीं मालूम कि उनकी बात किससे हुई, लेकिन यह बात साफ है कि अगर मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, तो किसी बड़े से बात की होगी, गृह मंत्री से बात हुई होगी, प्रधानमंत्री से बात हुई होगी या उनसे ऊपर बड़े किसी से बात हुई होगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं यह कह सकती हूं कि उस समय कम से कम केन्द्र सरकार को भी यह सुझाव देना चाहिए था कि दो दिन बाद कर लेना, कल दीपावली है इसलिए मैंने कहा कि उतनी भर भूमिका इनकी भी वहां आती है, लकिन वह नहीं हुआ, गिरफ्तारी हो गयी, अब गिरफ्तारी के बाद उनको किसी अतिथि गृह या डाक बंगले में नहीं ले जाया गया बल्कि वैल्लूर जेल में भेजा गया ...(**व्यवधान**)... अब जेल में भेजा गया, सभापति जी आप जानते हैं ...(**व्यवधान**)...

जीवन राय:*

श्री सभापति: देखिए प्लीज आप इस बात का ध्यान रखिए मैं बोलने नहीं दूंगा। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइए। Nothing will go on record. आप बैठ जाइए, यह ला एण्ड आर्डर का मामला नहीं है। यह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। Nothing will go on record ... (*Interruptions*)... जो मैंबर मेरी बिना अनुमति के बोलते हैं वो रिकार्ड पर नहीं जाएगा। चलिए बैठ जाइए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, वहां से उन्हें जब वैल्लूर जेल भेजा गया तो आप जानते हैं कि शंकराचार्य की तीन बार की पूजा करनी होती है, वे त्रिकाल पूजा करते हैं, उसका अपना एक ढंग है, एक विधिवत ढंग से वह पूजा होती है और इस मठ की ढाई हजार वर्षों की परम्परा है, ढाई हजार वर्षों की, और पचार वर्षों की संत इस की अनवरत साधना। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: देखिए यह कानून नहीं है, ...(**व्यवधान**)... आप एक बार बोलने क्यों नहीं देते।

श्री नीलोत्पल बसु: सर हमें अब इनसे पूछना पड़ेगा कि पूजा की विधि क्या होती है... (**व्यवधान**)...

श्री एस. एस. अहलुवालिया (झारखंड): जब शंकराचार्य जी के बारे में बात हो रही है तो पूजा का जिक्र इसमें आता है ...(**व्यवधान**)...

SHRI NILOTPAL BASU: This is a secular State and we have a secular Constitution. Are we supposed to discuss the details of any religion? We are committed to the Constitution. Can we discuss everything and anything we wish?

*Not recorded.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, मैं कह रही थी कि ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए, कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा अच्छा है आप बैठ जाएं। आपको बोलने का मैं मौका दूंगा उस समय कह देना सब बातें जो बात कहनी है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी ...(व्यवधान)...

SHRIMATI S.G. INDIRA: Sir, kindly see this report. The lady writer has ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: आप बैठिए, यह आप क्या दिखा रहे हैं।... क्या दिखा रहे हैं आप।...(व्यवधान)...

SHRI R.K. DHAWAN (Bihar): Chairman Sir, I want to say something. I want to refresh her memory ...(*Interruptions*)... Two Points were raised. One is ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Sir, he is not ....(*Interruptions*).... why should he reply? ...(*Interruptions*)....

MR. CHAIRMAN: Let her finish ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: But, why should he reply? ...(*Interruptions*)....

श्री सभापति: उनको फिनिश करने दीजिए, बैठे जाइए।...(व्यवधान)... बोलने दीजिए उनको।...(व्यवधान)... आप बैठिए। माननीय सदस्य, nothing is going on record. आप बैठ जाइए।

SHRI R. KAMARAJ:*

MR. CHAIRMAN: Please take your seat ...(*Interruptions*).... Please take your seat.

SHRI S.S. CHANDRAN:*

SHRI N.K. PREMACHANDAN:*

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, मैं कह रही थी कि 50 वर्षों की उस व्यक्ति की, उस संत की अपनी साधना है और 50 वर्षों से वे उसी तरह से पूजा कर रहे हैं। जब वहां उन्होंने विधिवत् पूजा करने की बात की तो कहा कि इसकी व्यवस्था नहीं की जा सकती शंकराचार्य जी के भोजन की भी एक परम्परा है। वे दही चावल खाते हैं लेकिन एक अलग विधि से बना हुआ।

*Not recorded.

जब उन्होंने भोजन के लिए कहा तो भोजन की भी व्यवस्था नहीं ...(**व्यवधान**)... सभापति जी, अखबारों में पढ़ने को मिलता है ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI S.G. INDIRA: Sir, renowned Tamil writer Anuradha Ramanan has alleged ...(*Interruptions*)...

SHRI N.R. GOVINDRAJAR (Tamil Nadu): Sir, please see this ...(*Interruptions*)....

MR. CHAIRMAN: These matters are pending in the court. माननीय सदस्य, जो आप यह पर्चे दिखा रहे हैं ...(**व्यवधान**)... एक मिनट बैठ जाइए Please take your seat. जो आप बात उठा रहे हैं यह सब मामले कोर्ट के सामने हैं। कोर्ट इस पर डिसीजन करेगी। ये जो बोल रही हैं इनका मामला कोर्ट में नहीं हैं और न कोर्ट में कोई इंक्वायरी का मामला नहीं है। यह गलत बात है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : एक मिनट सुनिए ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए, बैठिए। कम से कम इतना ध्यान रखिए, मेरी सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)... आप एक ध्यान रखिए कि जब आसन खड़ा होकर कोई बात कह रहा हो तो आपको शांतिपूर्वक उसको सुनना चाहिए। अगर आप यह चाहते हैं कि मैं भी बोलूं और मुझे आप डिस्टर्ब करेंगे तो उसके परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि वे जो कुछ बोल रही हैं, कोर्ट में जो मामला पेंडिंग है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया और न करेंगी और जिस समय जिक्र करेंगी तो मैं रोकूँगा और रोकने के बाद में मैं अगर भूल भी जाऊं तो आप पोइंट आउट करेंगे तो मैं उसको देख लूंगा। लेकिन अभी तक एक सामान्य शासन के जो शिष्टाचार की बातें हैं उसका जिक्र हो रहा है, बोलने दीजिए। मैं माननीय सदस्य और हाउस को सबको निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला कभी किसी के लिए भी आ सकता है। मुझे यहां आने के बाद ही मालूम हुआ है कि एक माननीय सदस्य को गिरफ्तार करके जेल में रखा था। मेरे पास केवल सूचना आई थी। सूचना के आधार पर एक मेंबर को मैंने वहां भेजा कि उनको किस तरह का खाना मिलता है, किस तरह से उनको वहां ठहरा रखा है, सेल्यूलर जेल में हैं या खुली जेल में हैं, उनको रहने की सुविधाएं हैं या नहीं। तो यह तो सारे मेंबर्स का सवाल हैं। मेंबर्स के सवाल के लिए मैं समझता हूं कि अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे या दूसरों को बोलने नहीं देंगे और वे आज शंकराचार्य जी के बारे में बोल रही हैं, कल किसी दूसरे के बारे में भी बोल सकती हैं, इस हाउस में कई बार ऐसे मामले उठे हैं। तो अभी जो कुछ ऐसे मैटर्स जो सब-ज्यूडिस है उसके ऊपर जिक्र नहीं कर रही हैं और आप जो पोस्टर दिखा रहे हैं यह वे सब मामले हैं जो कोर्ट के सामने पेंडिंग हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी। ...(**व्यवधान**)... सभापति जी, मैं आपको दिया हुआ वचन निभा रही हूं और मैं निभाऊंगी। मैं अपनी परिधि को नहीं लांघूगीं। ...(**व्यवधान**)... लेकिन मैं नारायणन जी से कहना चाहूंगी ...(**व्यवधान**)... मैं नारायणन जी से कहना चाहूंगी कि यह उल्लंघन आपकी तरफ से हो रहा है, हमारी तरफ से नहीं हो रहा है। ...(**व्यवधान**)... मैं एक भी शब्द ऐसा लेकर नहीं आ रही हूं जो कोर्ट के सामने हैं। ...(**व्यवधान**)... लेकिन उल्लंघन उनकी तरफ से हो रहा है। सभापति जी, यह जो बात आपने कही है, यही बात मैं कहना चाहती हूं कि राजनेता, पत्रकार और दूसरे लोगों पर जब यह चीज होती है तो हम उसे ज्यादती कहते हैं, हम उसे हाई हैंडिडनेस कहते हैं। चूंकि यह एक धर्माचार्य के साथ हो रहा है, इसलिए हमारी जो धर्मनिरपेक्षता सामने आती है, इसलिए हम एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ कहकर अपना पल्ला झाड़ लेना चाहते हैं। यह नहीं होगा। ...(**व्यवधान**)... इसलिए मैं यह मामला यहां उठा रही हूं। क्योंकि यह एक धर्माचार्य के साथ हो रहा है। ...(**व्यवधान**)... जब ऐसा अपने साथ होता है तो कानून याद आता है। जब अपने साथ ऐसा होता है तो ज्यादती लगती है, जब अपने साथ होता है तो हाई हैंडिडनेस लगती है। सभापति जी, मैं आपसे यह कह रही थी कि पूजा का प्रबंध। नहीं हुआ, भोजन का प्रबंध नहीं हुआ। हम अखबार में पढ़ते हैं। हमने अभी अखबार में पढ़ा कि बिहार में एक सत्तासीन दल के एक सांसद ने जेल में पार्टी की। एक सांसद को जेल में पार्टी की इजाजत है, शंकराचार्य की पूजा पर भी पाबंदी है! ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: (बिहार) सर, क्या यह बिहार का मामला है? ..(**व्यवधान**)... सर, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। .....(**व्यवधान**).....

श्री सभापति: आप बैठ जाइये। आप बैठ जाइये। .....(**व्यवधान**).....

SHRI JIBON ROY: Sir, I would like to draw your attention. She is exploiting religion for a political party. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Not at all .....(*Interruptions*).....

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, इनके पास बोलने के लिए विषय नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ सभापति: अच्छा, अब आप बैठ जाइये। ...(**व्यवधान**)... Please take your seat. Please take your seat. (*Interruptions*).

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, ...(**व्यवधान**)... मैं तुलना कर रही हूं। ...(**व्यवधान**)... मैं तुलना कर रही हूं। ...(**व्यवधान**)... बिहार कोई असंसदीय शब्द नहीं है। ...(**व्यवधान**)... मैं तुलना कर रही हूं। ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: तुलना की क्या जरूरत है? ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: तुलना की जरूरत है। ....(**व्यवधान**).....

प्रो॰ राम देव भंडारी: सभापति महोदय, ये कहां-कहां की बात कर रही हैं। इनके पास बोलने के लिए विषय नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बैठ जाइये। ...(**व्यवधान**)...

श्री विद्या सागर निषाद: सभापति महोदय,*

श्री सभापति: आप बैठ जाइये। ....(**व्यवधान**)... यह कोई रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। ध्यान रखिये। ....(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइये।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति महोदय, ...(**व्यवधान**)...

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश): मुझे एक बात पूछनी है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बैठ जाइये। ...(**व्यवधान**)... Please take your seat. How can you ask?...*(Interruptions)*

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: But, I am not yielding ...(*Interruptions*)... I am not yielding ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: बैठिये, बैठिये। राजीव जी, बैठिये। चलिये।

श्री राजीव शुक्ल: मैं आपकी अनुमति से पूछ रहा हूं।

श्री सभापति: मेरी अनुमति नहीं है। आप बैठ जाइये। ...(**व्यवधान**)... चर्चा बाद में कर लेना। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, मैं यह कह रही थी कि इतने भर से भी संतोष नहीं हुआ। उसके बाद उनकी पुलिस हिरासत मांगी गई। राज्य सरकार अड़ी रही और उन्होंने उनकी पुलिस हिरासत मांगी। उस समय का दुर्व्यवहार देखिए। कोर्ट में उनको तीन घंटे स्टूल पर बैठाया। ...(**व्यवधान**)...

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (Kerala): So what?

श्रीमती सुषमा स्वराज: 'So what'? सभापति जी, मैं कहती हूं...(**व्यवधान**)... उनके रुतबे का नहीं। ...(**व्यवधान**)... यह मानसिकता है 'so what'? यह मानसिकता है 'so what'?

श्री सभापति: चलिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं इसी मानसिकता का विरोध कर रही हूं 'so what'? सभापति जी, अगर रुतबे का नहीं तो उम्र का ख्याल कर लिया होता। 70 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति तीन घंटे स्टूल पर बैठा, एक कुर्सी लाकर नहीं दी जा सकती थी ...(**व्यवधान**)...

---

*Not recorded.

SHRI P.G. NARAYANAN: She is misleading. All the facilities are provided. ...(*Interruptions*)

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka) Where were you when Indiraji was sent to jail? ...(*Interruptions*) What did you speak that day? ...(*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, यह वह समय था ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बोलने दीजिए। इसमें दिक्कत क्या है। ...(**व्यवधान**)... कोर्ट में कुर्सी पर बैठें या स्टूल पर बैठें, यह सब-जुडिस मैटर नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, यह वह समय था जिस समय राज्य सरकार का आचरण इतना निर्लज्जता और क्रूरता से भरा हुआ था कि उसके विरोध में एक पूर्व राष्ट्रपति और दो पूर्व प्रधान मंत्रियों को सड़क पर आना पड़ा। यह वह समय था जब प्रधान मंत्री को गोहाटी से बोलना पड़ा। यह वह समय था जब समाजवादी दल के नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव को लखनऊ से बोलना पड़ा और यह वह समय था, मैं नीलोत्पल बसु जी को याद दिलाना चाहूंगी, जब सीता राम येचुरी को सार्वजनिक रूप से टीवी पर बोलना पड़ा। यह वह समय था जब डीएमके के वह नेता, करुणानिधि, जिन्होंने स्वयं शंकराचार्य जी की गिरफतारी की मांग की थी, उन्हें भी चेन्नई से बोलना पड़ा। देश में त्राहि-त्राहि मच गयी कि ऐसा निर्लज्जता भरा आचरण, ऐसा क्रूरता भरा आचरण? यह सब वहां पर हुआ। ...(**व्यवधान**)... लेकिन इतने भर से चैन नहीं पड़ा। प्रधान मंत्री ने वापिस आकर पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने कहा कि ऐसा दुर्व्यवहार मत करिए। उस पीठ का कोई मान-सम्मान है। कानून अपना रास्ता लेता हैं, यह एक चीज है लेकिन कानून के रास्ते में भी उनके मान-सम्मान का ख्याल रखिए। प्रधान मंत्री को एक मुख्य मंत्री को पत्र लिखना पड़ा लेकिन उस पत्र का टाल-मटोल भरा उत्तर देकर वापस राज्य सरकार उस काम में लग गयी। मैं अभी इसी सोमवार को बैल्लूर जेल में उनसे मिलने गयी थी। मैं साक्षी हूं इस चीज की। मेरे मन में कष्ट था। उनको देखकर बार-बार मेरा गला भर रहा था लेकिन वे शांत थे, संयत थे। ...(**व्यवधान**)... आप भावनाएं नहीं समझेंगे। आप भावनाएं कैसे समझेंगे?

प्रो॰ राम देव भंडारी: हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, इस दृश्य को देखकर... क्या कभी आपने जिंदगी में कल्पना की है कि शंकराचार्य जेल की सींखचों के पीछे दिखेंगे और दिखेंगे तो क्या आपका गला नहीं भरेगा? लेकिन वे शांत थे, संयत थे। उन्होंने अपने साथ होने वाले किसी व्यवहार की शिकायत नहीं की। लेकिन उन्होंने एक बात कही की सुषमा जी, समाचार-पत्रों

में जो छप रहा है, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो दिखाया जा रहा है, सब असत्य है, मिथ्या है। मैं इसलिए यह सब कहना चाहती हूं, अब यह मामला ...(**व्यवधान**)... सभापति जी, अब यह मामला...

श्री नीलोत्पल बसु: यह जो स्टेटमेंट हैं, यह विचाराधीन नहीं है क्या? ...(**व्यवधान**)... मैं आपकी डायरेक्शन चाहता हूं क्या यह मामला विचाराधीन नहीं है?

श्री सभापति: आप बोलने दो।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहती हूं ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: I will allow you. You can reply to it. यह ऐसी कौन-सी बात है? ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: जेल में बंद हैं।...(**व्यवधान**)... उन्होंने जो कुछ कहा, यहां कहने की बात नहीं है।...(**व्यवधान**)... हाउस में कहने के लिए नहीं कहा।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: क्यों नहीं कहेंगे? कौन-सी कानूनी दिक्कत है?

श्री नीलोत्पल बसु: क्या यह मामला विचाराधीन नहीं है? ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, आज गृह मंत्री जी बैठे हैं आदरणीय गृह मंत्री जी, मैं आपको मुखातिब करके कहना चाहती हूं कि अब यह मामला ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: जेल के अंदर ...(**व्यवधान**)...

श्री सुषमा स्वराज: सभापति जी, इन्हें बैठाइए।

श्री सभापति: आप बैठ जाइए।...(**व्यवधान**)... देश की बातें और कर लेंगे। बिहार की भी बात कर लेंगे, बंगाल की भी कर लेंगे, सब जगह की कर लेंगे, अभी तो जो बात हो रही है, उसे होने दो।...(**व्यवधान**)...

श्री सुषमा स्वराज: सभापति जी, मैं आपसे निवेदन करके कहना चाहती हूं कि अब यह मामला एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध का मामला नहीं रह गया। अब यह मामला एक राज्य सत्ता का एक धार्मिक संस्था पर आक्रमण करने का मामला बन गया है। एक स्टेट पॉवर एक धार्मिक संस्था को खत्म करने में लगी है ...(**व्यवधान**)...

SHRI JIBON ROY: Now, the cat is out of the bag. ...(*Interrupption*)...

SHRI JANARDHANA POOJARY: Nobody is above law. ...(*Interruptions*)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: प्रतिष्ठा धूमिल करने में लगी है इसलिए मैं आपसे मांग करती हूं, संविधान ने आप पर जिम्मेदारी डाली है राज्य सरकारें संविधान सम्मत कार्य करें। यह आप पर जिम्मेदारी है और संविधान ने आपको अधिकार भी दिये हैं। ...**(व्यवधान)**... केवल एक चिट्ठी लिखकर आपके कर्तव्य की इति श्री नहीं हो जाती। संविधान ने धारा 256, 257 में आपको यह जिम्मेदारी दी है कि आप यह देखें कि राज्य सरकारें संविधान के अनुसार चल रही हैं या नहीं। आप 256, 257 के तहत निर्देश देने का काम करिए ताकि इस पर लगाम लग सके। यह प्रपंच जो चल रहा है, यह प्रपंच समाप्त हो। यह कुचक्र खत्म हो, इतना ही मुझे निवेदन करना है। धन्यवाद।

श्री जयन्ती लाल बरोट (गुजरात): सभापति महोदय...

श्री सभापति: मैं एक को अलाऊ करूंगा।

श्री जयन्ती लाल बरोट: वे क्यों खड़े हो रहे हैं? ...**(व्यवधान)**... हमें भी मौका मिलना चाहिए।

श्री सभापति: आप बैठ जाइए, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... एक मिनट सुन लीजिए। जब सुषमा जी बोल रही थीं, आप डिस्टर्ब कर रहे थे। यह कोई जरूरी है कि कोई भी आदमी बोले, आप डिस्टर्ब करें।

एक माननीय सदस्य: सर, हमें भी मौका दीजिए।

श्री सभापति: शांति से बैठिए। मौका दूंगा। आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... आप बोलिए। आपकी पार्टी से एक माननीय सदस्य बोलेंगे।

SHRI P.G. NARAYANAN (TAMIL NADU): Mr. Chairman, Sir, what Mrs. Sushmaji has stated here is far from the truth. She has misled the House. Sir, we have the highest respect and regard for the Kanchimutt Peeth*. ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: मैं यह एलाऊ नहीं करूंगा ...**(व्यवधान)**... मैं यह एलाऊ नहीं करूंगा। हटा दीजिए इसको प्रोसीडिंगज से। यह एलाऊ नहीं करूंगा। ...**(व्यवधान)**... आपने जो कहा, वह बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI P.G. NARAYANAN: He is involved. (*Interruptions*)

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, this matter is *sub judice*. (*Interruptions*)

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, he is referring to a *sub judice* matter. (*Interruptions*) He should not be allowed to say all this. (*Interruptions*)

---

*Not recorded.

श्री सभापति: नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा, जो मामला ...(व्यवधान)... एक बात सुन लीजिए... एक मिनट सुन लीजिए। जो मामला कोर्ट के सामने पेंडिंग है, उस संबंध में आप बोलेंगे, तो वह रिकॉर्ड नहीं होगा। ...(व्यवधान)... नहीं, कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग नहीं था। बता दीजिए, कौन सा मामला कोर्ट में पेंडिंग था? जो कोर्ट में पेंडिंग है, सब-ज्यूडिस है, जो प्वाइंट सब-ज्यूडिस है, उसके ऊपर आप बोलेंगे, तो हाऊस में वह रिकार्ड नहीं होगा। ...(व्यवधान)... आप प्रोसीजर की बात कीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री मोतिउर रहमान (बिहार): सर, कानून के...

श्री सभापति: अरे, आप बैठ जाओ ना। कृपया बैठिए... बैठिए... आप बहुत कानून का पालन करते हैं, मुझे आपके प्रति बहुत ही श्रद्धा है।

श्री मोतिउर रहमान: वह सब देख रहा है।

श्री सभापति: वह सब देख रहा है, हम भी देख रहे हैं, हम भी बहुत देख रहे हैं। बोलिए, नारायणन जी।

SHRI P.G. NARAYANAN: Sir, the arrest of Sankaracharya of Kanchi Kamakoti Peetham was a painful action undertaken by the State Government of Tamil Nadu to uphold the rules of law. The brutal murder of a temple employee, who functioned as a shadow of late Parmacharya, Shri Chandrashekhar Saraswati, took place in the holy precincts of the Varadaraja Perumal Temple in broad day light. Late Sankaraman was brutally murdered. He and his father, Vishwanathan, were the eyes and ears in Parmacharya. So, a close associate of Parmacharya was murderd in broad day light in the precincts of holy Vaishnavite Shrine. In such circumstances, what is the duty of the State Government? The State Government has taken action as was expected of it. Investigations have revealed that the needle of suspicion for the murder points at the present Sankaracharya. (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज: Again investigations reveal.. सर, आपने सुना नहीं?

श्री सभापति: ये फैक्ट्स रिवील नहीं कर रहे हैं। ...(व्यवधान)... यह रिवीलिंग नहीं है। ...(व्यवधान)...

SHRI P.G. NARAYANAN: I am not going into the merits of the case. (*Interruptions*)

श्री सभापति: अहलुवालिया जी, आप उनको बोलने दीजिए ...(व्यवधान)... आप बोलने दीजिए उनको let him speak, there is no harm. बोलिए, नारायणन जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)... अहलुवालिया जी, उनको बोलने दीजिए, बैठ जाइए। ...(व्यवधान)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सर, ये इन्वेस्टीगेशन ...

श्री सभापति: इन्वेस्टीगेशन का सवाल नहीं है। इन्होंने इन्वेस्टीगेशन की बात नहीं की। जो केस रजिस्टर हुआ, उसकी बात कह रहे हैं। यह उसमें नहीं आता। Investigation in the court ...(व्यवधान)... मेरी बात सुन लीजिए। यह गलत बात है। आप पहले बैठिए। ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है। ...(व्यवधान)... एक मिनट सुन लीजिए। केस रजिस्टर हुआ है, मर्डर का केस रजिस्टर हुआ है। उस मर्डर के केस में इन्वेस्टीगेशन हुई है, इन्वेस्टीगेशन के सिलसिले में वे गिरफ्तार हुए हैं। यह कौन सा सब-ज्यूडिस का मैटर हो गया? Please don't disturb.

SHRI S.S. AHLUWALIA: What did he say? He said that the investigation reveals that the needle of suspicion points at Sankaracharya. How can he say that?

श्री सभापति: चलिए, आप बोलिए।

SHRI P.G. NARAYANAN: Sir, is it the case of BJP, which is the only party spearheading this protest, that no case should be pursued against Sankaracharya?

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: I did not say that.

SHRI P.G. NARAYANAN: No political party can say that the accused in the murder case should be let off just because he is holding a high religious position.

SHRI BALBIR K. PUNJ (Uttar Pradesh): She never said it.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: 'The law will take its own course'--- this is what Smt. Swaraj has said. ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, we are intelligent enough to understand what Smt. Swaraj said. We did not need Dr. Joshi to interpret it for us. ....*(Interruptions)*...

श्री सभापति: मैरिट कहां है, बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)... आप बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)...

SHRI P.G. NARAYANAN: Sir, this is an unnecessary interruption by the Member. ...*(Interruptions)*... I have to explain it, Sir. I have to explain. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: जोशी जी, मैं आपको बता दूं कि जो *sub judice* मैटर पर बोलेगा, वह केस को स्पोइल करेगा। कोई बोलकर देख ले।

DR. (SHRIMATI) NAJMAA. HEPTULLA (Rajasthan): Sir, you please look into the record.

श्री सभापति: मैं रिकार्ड देख लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है और अभी जो मैंने सुना उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, जो इन्होंने कही है।

SHRI P.G. NARAYANAN: Sir, after comprehensive investigation and after the people of South India completed the Deepawali celebration our Government took the decision to arrest him. Only after the celebration of Deepawali was over, he was arrested. ....*(Interruptions)*... But she has misled the House. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: It makes no difference, Sushmaji. It makes no difference. दीपावली पर दीपक जले, उस समय गिरफ्तार किया है या नहीं किया है, it makes no difference ...*(Interruptions)*... बोलिए, बोलिए। Please finish it.

SHRI P.G. NARAYANAN: Sir, I have to explain the position. Sir, we are not happy that we have to take this decision. But democracy meant rule of law, and no one can claim exemption from the rule of law. Sir, if the State Government had not taken this decision, people would have lot respect for the rule of law. They would charge that our Government has wilted under pressure from powerful people. That, barring a few stray, minor, incidents, there has been complete peace in Tamil Nadu and elsewhere in the country proves our *bona fides* in dealing with the situation.

BJP President Mr. L.K. Advani has said at Ranchi that the criminal case against the Sankaracharaya should be transferred out of Tamil Nadu. I do not know on what basis he came with this suggestion. Our action is *bona fide,* and I challenge him to prove that out actions are *mala fide* warranting his exteme suggestion. ...(Interruptions)...

Sir, India is not a banana republic that criminal cases should be tossed around from one State to another merely to satisfy the whims and fancies of politically mightly people. Mr. Advani owes an explanation to the people of this country for giving such an unjst call. Law and order is a State

subject, and rights of the State cannot be treated with contempt. The Centre is also more or less satisfied with our action.

Sir, So many leaders. ...*(Interruptions)* ..

MR. CHAIRMAN : Please finish it now. ...*(Interruptions)*... Please finish it.

SHRI P.G. NARAYANAN: Sir, regarding ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: आप बैठिए तो, क्यों उछलते हैं। ...(व्यवधान)... बैठिए, बैठिए। देखिए, जो आपने आगे कहा है, मैं उसको बोल देता हूं। ...(व्यवधान)...

DR. K. MALAISAMY: Sir, I want to speak on this matter.

श्री सभापति: आप ठहर जाइए। Let him finish ...*(Interruptions)*... Let him finish

SHRI P.G. NARAYANAN: Sir, I have not completed. ...*(Interruptions)*... I have not completed. Let me complete. ...*(Interruptions)*... Sir, so many leaders were in jail in Tamil Nadu for the last two years, but we never saw BJP leaders, including Mr. Advani, making a beeline to Vellore Jail! Another BJP leader, Mrs. Sushma Swaraj, contemptuously...*(Interruptions)*...

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (Kerala): Sir, Abdul Nazar Madani has been in jail for the last several years. No allegation has been made. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Why are you disturbing him? Please take your seat. Please take your seat ...*(Interruptions)*... This is a very important matter. ...*(Interruptions)*... आप बैठ जाइए।

SHRI P.G. NARAYANAN: Mrs. Swaraj contemptuously described the arrest of Sankaracharya and the peaceful situation prevailing in Tamil Nadu as a rat race among the Dravidian Parties for securing anti-brahmin votes! ...*(Interruptions)*... Sir, I do not know why Madam Swaraj ...*(Interruptions)*...

SHRI BALBIR K. PUNJ: She never said it. ...*(Interrupions)*...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: सर, ये कहीं से पुराना भाषण ले आए हैं और उसे यहां पढ़ रहे हैं। ...(व्यवधान)...

SHRI P.G. NARAYANAN: No, no, no. ...*(Interruptions)*... I have read it in the newspaper. ...*(Interruptions)*... She has said it outside the Parliament. ...*(Interruptions)*... She has said it ...*(Interruptions)*... This is reported in the newspaper.

MR. CHAIRMAN: Please finish it. You have already said that it is a murder case; he has been arrested. The matter is over. ...*(Interruptions)*... The matter is over. ...*(Interruptions)*... Now, please finish.

SHRI P.G. NARAYANAN: Regarding the facilities, ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please finish it.

SHRI P. G. NARAYANAN: Sir, we have provided all the facilities ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: That is all right.

SHRI P.G. NARAYANAN: We have provided all the facilities to the Sankaracharya.

SHRI P.G. NARAYANAN: The Sankaracharya himself has stated before the Magistrate that he is being treated very well. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: बस ठीक है ...(व्यवधान)... Now you please finish. ...*(Interruptions)*...

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA: Sir, has he visited the jail? ...(*Interruptions*)... Sir can I put a question to him? ...*(Interruptions)*... Did you visit the joint? ...*(Interruptions)*...

SHRI P.G. NARAYANAN: Yes, I know. ...*(Interruptions)*... I know what is going on. ...(Interruptions)...

श्री सभापति: आप इट्रप्शन कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

SHRI P.G. NARAYANAN: Properly cooked food by proper person is being provided to him. I assure the House, on behalf of our Government, that all facilities were being provided to him during his stay in jail and under judicial remand. The judicial authorities are also monitoring whether proper facilities are being provided to him. He has himself admitted it.

MR. CHAIRMAN: That is right. You have spoken on behalf of your Government. That is enough. Mr. Basu.

DR. K. MALAISAMY: MR. Chairman, Sir, ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I won't allow you. ...*(Interruptions)*... I won't allow you ...*(Interruptions)*...

DR. K. MALAISAMY: Sir, can you give me one minute?

MR. CHAIRMAN: There is no one minute, ...*(Interruptions)*... I asked your party leader. ....*(Interruptions)*... Your party leader has given me the impression that he would only speak. ....*(Interruptions)*... He has promised me. ...*(Interruptions)*...

DR. K. MALAISAMY: You have promised me, Sir. Just half-a-minute. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए ...(व्यवधान)... मैं अलाऊ नहीं कर रहा हूं ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइए ...(व्यवधान)... Mr. Narayanan, being the leader of your party, you have to take the responsibility of controlling your Members. ...*(Interruptions)*...You take the responsibility of controlling your party Members; otherwise, there will be a breach of trust between you and me. ...*(Interruptions)*...No, I will not allow you. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record.

DR. K. MALAISAMY: After he completes, give me one minute, Sir.

MR. CHAIRMAN: No, I will not give you even half-a-minute.

DR. K. MALAISAMY: It is a very important matter.

MR. CHAIRMAN: It may be a very important matter. But without permission, I will not allow you to speak even half-a-minute.

SHRI NILOTPAL BASU: Mr. Chairman, Sir, I think all that has been said till now in this House, whether it was by Shrimati Sushma Swaraj or by Shri Narayanan, I think, in the best spirit of the Constitution, under which we took our oath, should not have been discussed at all. But it was your application of mind to the rules of business and the Constitution that has given us this opportunity to speak on the subject. Sir, I am not on merits. I think, the whole issue is on who committed the murder. The murder is a fact of reality. Who commutted the murder, who were the accomplices in the murder, how somebody has orderd judicial custody, how somebody has ordered police remand, how he or she should be treated, etc., are, I think, under judicial scrutiny. it is better that the political process insulated itself from commenting on those issues. If people are

aggrieved about the manner in which a case has been handled, there are two fora. The issue is basically of murder and fixing accountability of that murder. So, the place should have been the Assembly of Tamil Nadu. I don't know in what manner it was discussed there.I think, as the Council of States, we can't usurp the right of the Tamil Nadu Assembly while discussing this issue on the floor of the House. This is one thing. ...(*Interruptions*)... Sir, I have the greatest respect for you and your understanding of the Constitution and the rules of business of the House. I have no problem. But this is my understanding of the situation which I want to share with all the Members of the House.

The second issue is that a number of Members of the Opposition are saying, "We are also lawyers and we have been practising for long". I think, therefore, their actions and statements in favour of the Sankaracharya should have been in the court of law, if their case is so well founded. Whatever he had shared with Sushmaji, when she visited him in jail, she has stated here. She has stated—I think that is a breach of *sub judice* law —"All you are hearing about me is baseless and it is all untrue". She is breaching the *sub judice* law. ...(*Interruptions*)... But it is up to her. What we are taking serious note of is this constant refrain that Shri Shankaacharyaji is being treated in the manner as he is being treated because he has religious association. This is a very serious matter. I think it is a clear criminal case. We do not have the competence to establish either way. I have no case for Shri Narayanan for whatever he is saying that somebody has done this and somebody has not done this. But they are not the judicial authorities. We are seriously concerned about it. I think the entire political process today is concerned about this overlap of areas of prerogatives. Many times, we talk about the judiciary acting in an area which is not its prerogrative. We talk about the executive working in an area which is not its prerogative and so on and so forth. I think for the dignity of the constitutional scheme, it is very necessary that we do not encroach upon an area which is constitutionally not meant for us.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, मुझे सिर्फ एक बात कहनी है। अगर माननीय सदस्य एक मिनट के लिए यील्ड करें तो ...(**व्यवधान**)... सर, ये यील्ड करें तो मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Let him finish. ये खत्म कर रहे हैं ...(व्यवधान)... बोलिए, बोलिए।

SHRI NILOTPAL BASU: There are organisations like ...(*Interruptions*)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, मुझे एक मिनट के लिए अनुमति दीजिए ...(व्यवधान)... मुझे आपसे ही पूछना है ...(व्यवधान)...

SHRI NILOTPAL BASU: I am not yielding. *(Interruptions)*. I am not yielding. You did not yield to me. I am not showing you the courtesy of yielding.

श्री सभापति: बैठिए बैठिए ...(व्यवधान)... मैं जवाब दे दूंगा, बैठिए, बैठिए ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं पूछना चाहती हूं कि जब कामरेड ज्योति बसु पर सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रिक्चर आया था तो सोमनाथ चटर्जी ने, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने पोलिटिकल प्रोसेस के थ्रू कनेक्ट क्यों किया था ...(व्यवधान)... टोटल थीम इनका यह है कि पोलिटिकल प्रोसेस ...(व्यवधान)... Why didn't comment?

श्री सभापति: चलिए, बोलिए।

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, Shrimati Swaraj has the habit of talking irrelevant things. I need not respond to that. My point is this. The hon. Home Minister is sitting here. He should also take note of this. There are organisations like the VHP which have publicy stated on camera, on television channels that there should be a separate law for people who have high religious standing in the society and they should be insulated from the scrutiny of legal provisions of this country.

SHRI BALAVANT *alias* BAL APTE (Maharashtra): Sir, this whole discourse is in contempt of the Chair. After the Chair has ruled, he is asking about the propriety.

MR. CHAIRMAN: Don't speak on my behalf. I will reply to him. मैं कह दूंगा उसको।

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, I am not questioning the propriety. I am sharing my views. I would like to have a clarificaton from the BJP and its leaders that what the VHP is saying whether they share this view or not because we are a little amused also. Till the other day...(*Interruptions*)...

1.00 P.M.

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. Let him finish.

SHRI BALAVANT *alias* BAL APTE: It is totally irrelevant.

SHRI NILOTPAL BASU: Till the other day, Madam Jayalalitha was in constant touch with Shri Arun Jaitley and Shrimati Sushma Swaraj to know how to handle this legal case and whom to arrest and whom not to arrest. Now what has happened? What is the political relationship between the BJP and the AIADMK? We have totally failed to understand. If Sushmaji could throw some light on that, it would be making the whole discussion more wholesome.

श्री सभापति: चलिए, चलिए।

DR. K. MALAISAMY: Sir, Please give me one minute.

श्री सभापति: एक मिनट बैठिए। पहले बैठिए ...(व्यवधान)... First hear me. पहले मुझे बोलने दीजिए। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री बसु ने अभी यह कहा कि इस हाऊस में इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए। यह बात इन्होंने कही है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि सुषमा जी ने चार बातें मोटे रूप से रखी हैं जो आप लोगों को जानकारी में हैं और मेरी जानकारी में भी हैं कि उनकी गिरफ्तारी के संबंध में उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। इस बारे में प्रधान मंत्री जी ने पत्र लिखा, कम्युनिस्ट पार्टी के श्री येचुरी उस पर बोले और बाकी दलों के मेंबर्स भी बोले। इस संबंध में मुख्य मंत्री, यू॰पी॰ ने भी बाते कहीं व और लोगों ने भी कहीं। उन्होंने वही सब्जैक्ट लिया है और यदि वह सब्जैक्ट हाउस में डिस्कस होता है और जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिखा। जब प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिखा तो किसी आधार पर लिखा होगा और इस आधार पर नहीं लिखा कि प्राइम मिनिस्टर बाहर गए हुए थे और उन्होंने लेटर लिख दिया। उनके पास कोई-न-कोई जानकारी होगी वरना जहां भी गिरफ्तारियां होती हैं, आज तक प्राइम मिनिस्टर ने स्टेट गवर्नमेंट को लेटर नहीं लिखा। पहली बार लेटर लिखा है। पहली बार एक गिरफ्तारी के मामले में कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी येचुरी बोले। आज तक पहले कोई नहीं बोला। पहली बार किसी मामले के बारे में दूसरी स्टेट के मुख्य मंत्री बोले, मुलायम सिंह जी बोले। तो केवल उस पर चर्चा हुई और उस चर्चा के बेसिस पर मैं चाहूंगा कि होम मिनिस्टर बोलना चाहें तो बोलें। यदि होम मिनिस्टर की तरफ से पचौरी जी आप बोलना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और आप के बाद ये डिबेट खत्म होगी।

श्री राजीव शुक्ल: सर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप अपना स्पष्टीकरण इनसे पूछ लेना। पचौरी जी, आप के पास बैठे हैं, इनसे स्पष्टीकरण कर लेना।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sushmaji has spoken so much... (*Interruptions*)... As a Member, I have a right to say something.

श्री सभापति: वह स्पष्टीकरण दे देंगे। ...(व्यवधान)... क्या पचौरी जी पर आप को विश्वास नहीं है। अब आप बैठ जाइए।

SHRI V. NARAYANASAMY: I will not go into the merits of the case ...(*Interruptions*)... Sir, it is highly unnecessary for the BJP to politicise the issue. ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: पचौरी जी आप बोलिए, पचौरी जी बोलिए।

SHRI V. NARAYANASAMY: I have given notice.

श्री सभापति: आप उन्हें बोलने दीजिए। एक मिनिट सुन लीजिए, अगर उनकी बात से संतुष्ट नहीं होंगे तो मैं अलाउ कर दूंगा।...(व्यवधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: सर, मुझे भी समय दे दीजिए।...(व्यवधान)...

श्री सभापति: अभी बैठ जाइए। मैं बाद में दूंगा। उन्हें बोलने दीजिए।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I will just take one minute. As regards the incident that has been narrated by the hon. Member from the Opposition as also from the AIADMK, I am not going into the merits of the case. Sir, the State Government says that the law must take its own course. I agree. As far as the acts of the case, the truth or otherwise of the matter are concerned, we do not know. I would like to say one thing. The hon. Member of Parliament has mentioned that religious institutions should be respected. Yes; we are agree that these have to be respected. But all the religious institutions should be respected in this country. But, unfortunately, the political leaders from the other side have been blaming the Congress (I) party; they have been blaming the leader of the Congress (I) party for the arrest of the Shankaracharya. But the Congress (I) Party has nothing to do with it. The Congress (I) leaders have nothing to do with it. The Prime Minister has made it quite clear that the Central Government is not involved with it. Here, I would like to put only one question...

श्री सभापति: अब कोई क्वैश्चन करने की जरूरत नहीं है।

SHRI V. NARAYANASAMY: When the Babri Masjid was demolished, where was this religious sentiment and the feeling that all religions are equal? Now, they are saying about religious sentiments...

श्री सभापतिः ठीक है। बैठिए, बैठिए। ...(व्यवधान)... रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, बैठ जाइए। आप ठहरिए, पहले गवर्नमेंट को बोलने दीजिए।

श्री संजय निरुपमः सर, अगर मैं नारायणसामी की तरह बोलूं ...(व्यवधान)... मैंने लिखित में निवेदन किया कि अनुमति दी जाए। ...(व्यवधान)... सभापति जी, यह सरासर अन्याय है।

श्री सभापतिः मैं आप के कहने से नहीं चलूंगा। मैं आप को भी परमीशन दूंगा।

श्री संजय निरुपमः इस सदन में मुझे भी बोलने का अधिकार है। हमारी भी कुछ भूमिका है, शिव सेना की भूमिका है।

श्री सभापतिः मैं आप को अनुमति दूंगा। ...(व्यवधान)... मैं परमीश्न दे दूंगा। ...(व्यवधान)... आप यह समझते हो कि मैं यूं परमीशन दे दूंगा।

श्री संजय निरुपमः सभापति जी।

श्री सभापतिः आपको परमीशन मिलेगी आप बैठ जाइए। पचौरी जी, बोलिए।

श्री संजय निरुपमः सर, सरकार के जवाब के बाद में?

श्री सभापतिः जी, बाद में देखूंगा। अभी आप बैठ जाइए।

श्री संजय निरुपमः सर, मुझे लगता है कि मेरे मन में जो कुछ सवाल हैं, उनको सरकार के समक्ष रखूं ताकि सरकार को जवाब देने में सुविधा हो।

श्री सभापतिः नहीं। आप पहले बैठ जाइए, थोड़ा तसल्ली रखें।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): आदरणीय सभापति महोदय, कांची कामकोटि शंकराचार्य जी से संबंधित जो मुद्दा आज सदन में चर्चा में आया है, उससे जुड़े हुए तीन पहलू हैं। पहला पहलू तो प्रकरण से संबंधित है और चूंकि जैसा स्वयं आपने व्यक्त किया, यह मामला सब-जुडिस है, इसलिए इसके विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। दूसरा पहलू उनके साथ जो व्यवहार हुआ, उससे जुड़ा हुआ मामला है और तीसरा केन्द्र सरकार से संबंधित जो बात आदरणीय सुषमा जी ने की, उससे संबंधित मामला है।

मान्यवर, सबसे पहले तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय सुषमा जी ने जो उल्लेख किया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में किसी से बात की, तो मैं इसका स्पष्ट खंडन करना चाहता हूं। शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी से पूर्व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मामले से संबंधित न तो प्रधानमंत्री जी से बात की, न गृह मंत्री जी से बात की और सरकार से संबंधित किसी से भी बात नहीं की। मैं उनकी इस बात का स्पष्ट खंडन करता हूं। यह बात असत्य

और बेबुनियाद है। दूसरी बात जो प्रकरण से संबंधित है, इसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को जो पत्र जयललिता जी, को लिखा था, उसमें दो बातें स्पष्ट रूप में कहीं थीं, जिनको मैं आपकी अनुमति से उद्धत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, He said "It is extremely important that due processes of law must not be allowed to be interfered with and that law must be allowed to take its own course". यह पहला पहलू है। दूसरा, इससे जुड़ा जो मानवीय पहलू था, उसको भी मैं उद्धत करना चाहूंगा- "It is also relevant to note that Swamiji keeps indifferent health. His Holiness also enjoys a high religious status and position in society. Hence, the investigation involving a person of his eminence needs to be conducted with extreme care and consideration. I request the Government of Tamil Nadu to take all such mesures as are appropriate to ensure physical well-being of Swamiji". इसके उत्तर में जयललिता जी ने 26 तारीख को जो पत्र प्रधानमंत्री जी को प्रेषित किया, उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि इस मामले में प्रोपर केअर रखी जाएगी, जहां तक उनके साथ व्यवहार की बात है।

मान्यवर, इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि हमारे यहां सनातन धर्म में हमारे चार पीठ माने जाते हैं-श्रंगेरी, द्वारका, बद्रीनाथ, पुरी और कांचि को भी एक पीठ के रूप में ही सम्मानित और प्रतिष्ठित नजरिए से देखा जाता है। वहां से जुड़े हुए जो भी धर्माचार्य रहते हैं, उनके प्रति बहुत सम्मानजनक दृष्टि रखी जाती है, उसी के अनुसार व्यवहार भी किया जाता है, लेकिन जहां तक जुडिशियल प्रोसेस का प्रश्न है, हम इस बात के पक्षधर हैं कि जुडिशियल प्रोसेस जो भी अपनाया जाए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकरण से जुड़ी हुई बातें सामने आई हैं, मैं विनम्रता-पूर्वक कहना चाहूंगा कि जहां हम यह आकांक्षा व्यक्त करें कि आदरणीय शंकराचार्य के प्रति बहुत आदरपूर्वक व्यवहार किया जाए, सम्मानजनक व्यवहार किया जाए, वहीं इस बात के लिए भी हमें अपेक्षा रखनी पड़ेगी कि जुडिशियल प्रोसेस में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। इन सारी बातों से ऊपर उठकर हम राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकरण का राजनीतिकरण न किया जाए। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि केन्द्र सरकार की इस मामले में किसी भी दृष्टि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भूमिका नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी जैसे व्यक्ति ने, जो शीर्षस्थ पद पर विराजमान हैं, यह खंडन कर दिया है, तो मैं सोचता हूं कि फिर बारंबार, कहीं विश्व हिन्दू परिषद्, कहीं आरएसएस, कहीं किसी राजनैतिक दल से जुड़े हुए सम्मानित व्यक्ति या कोई भी यह कहे कि इसमें केन्द्र सरकार की भूमिका है या किसी और की भूमिका है तो वह निश्चित रूप से निंदनीय होगा। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि पूरे प्रकरण में कानून को अपना रास्ता अख्तियार करने दें। जहां तक व्यवहार का प्रश्न है, उस पर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की है और केन्द्र सरकार इस बात का बराबर ध्यान रखेगी

कि उनकी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, उनकी आयु को ध्यान में रखते हुए उनके साथ मर्यादित और सम्मानित व्यवहार किया जाए।

श्री संजय निरुपम: आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में आरोप लगते ही दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति को अभियुक्त मान लिया जाता है, जबकि आरोप लगना और आरोप साबित होना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इससे कोई इंकार नहीं कर रहा है कि शंकररामन नामक एक व्यक्ति की हत्या हुई। हत्या दिन-दहाड़े हुई, रात को हुई, ये सारी बाते इन्वेस्टिगेशन के लैवल पर चल रही हैं। अब उस हत्या के आरोप में शंकराचार्य जी को गिरफ्तार किया गया, उस मामले में मैं और हमारी पार्टी कहीं से भी नहीं आना चाहतीं लेकिन शंकराचार्य जी का एक स्थान है, वे हमारे धर्मगुरु हैं। इस देश में हिन्दुओं के धर्माचार्य हैं, पांच धर्माचार्यों में से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उनके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है, पूरे इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में, वह दुर्व्यवहार हमारे दिल को कहीं न कहीं तकलीफ पहुंचा रहा है। बार-बार यह कहा जा रहा है कि कोई दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है। सुषमा जी ने बड़े विस्तार से सारी बातें रखी हैं-उनके भोजन की समस्या से लेकर पूजा-पाठ तक और जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई और जिस प्रकार से उनको जेल में रखा गया है, यह बिल्कुल एक प्रकार का अपमान या कहीं न कहीं उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। अगर मान लिया जाए कि दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर सवाल उठता है कि फिर प्रधानमंत्री जी ने पत्र लिखा क्यों? पूरे देश में रोज हत्याएं होती है, रोज हत्या में कोई न कोई आरोपी गिरफ्तार होता है। हर आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उस राज्य सरकार को या उस राज्य सरकार के मुख्य मंत्री को हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी चिट्ठी नहीं लिखते। लेकिन जैसा कि आपने स्वयं कहा आसन से कि इस देश के प्रधान मंत्री ने पहली बार एक हत्या के मामले में एक राज्य सरकार के मुखिया को चिट्ठी लिखी। इसका मतलब है कि उन्हें अंदर से कहीं न कहीं आशंका है, कि दुर्व्यवहार हो रहा है। तो दुर्व्यवहार की जिस बात की प्रधानमंत्री जी को आशंका हुई है उस आशंका को दूर करने का मैं निवेदन करता हूं और मेरा आपसे निवेदन है कि शंकराचार्य जी को पूरे मान-सम्मान के साथ रखा जाए। अभी जब सुषमा जी कह रही थीं कि इस देश में जब पॉलिटिशियंस को, बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस को गिरफ्तार किया जाता है उनके लिए एक विशेष व्यवस्था होती है। उमा भारती जी एक ताजा उदाहरण हैं। हुबली में तिरंगा झंडा फहराने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करके एक जेल में, कैदखाने में नहीं डाला गया, बल्कि एक गेस्ट-हाऊस को जेल का रूप दिया गया। हमारे बिहार के एक बहुत बड़े नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी भी जब गिरफ्तार होते हैं, वे गेस्ट हाऊस में रखे जाते हैं। ...(व्यवधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: वे जेल में गए थे। ...(व्यवधान)... जेल में बंद थे...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप बैठिए, बैठिए।...(व्यवधान)...आप बैठिए, बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... माननीय मैम्बर, बार-बार खड़े होने से काम नहीं चलेगा। आप बैठ जाइए। बैठ जाइए।

श्री संजय निरुपम: सभापति जी, हम सबको मालूम है कि चैन्नई की जेल में और बेऊर की जेल में पूरे इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के लैवल पर कितना बड़ा फर्क है, यह हम सबको मालूम है। बेऊर जेल में कितनी सुविधाएं मिलती हैं, चैन्नई की जेल में क्या हाल है? ...(व्यवधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: आप दोनों में रहे हैं क्या?

श्री संजय निरुपम: सभापति महोदय, मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, हमारी चिंता सिर्फ इतनी है कि इस पूरी कार्रवाई में प्रतिशोध की भावना नहीं दिखनी चाहिए। दुर्भाग्यवश प्रतिशोध की भावना दिख रही है, एक रिवेंज वाली फीलिंग दिख रही है। ऐसी किसी प्रतिशोध की भावना के साथ शंकराचार्य जी के साथ कार्रवाई न हो, ऐसा मैं सरकार से निवेदन करता हूं। गृह मंत्री जी आपसे निवेदन करता हूं कि शंकारचार्य जी के केस की पूरे मान-सम्मान के साथ शुरुआत की जानी चाहिए और दूध का दूध तथा पानी का पानी होना चाहिए।

प्रो॰ राम देव भंडारी: माननीय सभापति जी, मैंने श्रीमती सुषमा स्वराज जी को बहुत ध्यान से सुना। कांची कामकोटि पीठ के श्री जयेंद्र सरस्वती पर हत्या का आरोप है और इस समय वे न्यायिक हिरासत में हैं। बड़े सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि पूरा देश चाहता है कि उन्हें न्याय मिले और ये देश संविधान और कानून से चलता है और इस समय शंकराचार्य जी पर जो मुकदमा है, वह पूरी तरह कोर्ट के तहत है। दुर्भाग्य यह है कि इस मुकदमे में शुरू से ही इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया गया। ऐसा नहीं है कि बी॰जे॰पी॰ वाले ही दुखी हुए उनके जेल जाने से, बल्कि और भी लोग दुखी हुए हैं उनके जेल जाने से। मगर बी॰जे॰पी॰ वालों ने इसको शुरू से इस प्रकार का रंग दिया कि जैसे वे बी॰जे॰पी॰ के ही शंकराचार्य थे दूसरे लोगों के शंकराचार्य नहीं थे। धरना, प्रदर्शन, अनशन, भूख हड़ताल से सारी बातें क्या कोर्ट को प्रभावित करने के लिए नहीं की गई थीं? सुषमाजी ने बहुत भावनात्मक भाषण दिया है, वे बहुत अच्छा बोलती हैं मैं इनके भाषण का प्रशंसक हूं और जो भावनात्मक रंग इन्होंने अपने भाषण में दिया है वह इस मुकदमे को एक साम्प्रदायिक रंग भी दे रहा है महोदय।

श्री सभापति: चलिए, आगे चलिए।

प्रो॰ राम देव भंडारी: इसीलिए मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि कानून को अपना काम स्वतंत्रापूर्वक करने दीजिए। अगर आप कानून में हस्तक्षेप करेंगे या किसी प्रकार से उसको प्रभावित करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इस देश में अराजकता हो जाएगी। हम सभी कानून और संविधान की मर्यादा और उसकी रक्षा के लिए यहां आए हुए हैं। जहां तक उनकी सुख सुविधा का सवाल है, पचौरी जी ने कहा है और हम सभी चाहते हैं कि उनकी जो आयु है, उनका जो सम्मान है, समाज में जो स्टेटस है उस हिसाब से उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए। मगर यह भी कोर्ट के जिम्मे है। अभी शंकराचार्य जी न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट से कहा जा सकता है कि इन्हें

इस प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। मगर बाहर से जब हम इस प्रकार की बातें करते है तो निश्चित रूप से हम कोर्ट को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कानून का शासन है, संविधान है उसे काम करने दीजिए। निश्चित रूप से शंकराचार्य जी को इसी संविधान के तहत न्याय मिलेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: चर्चा समाप्त हुई। सदन की कार्रवाई एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है। उसके बाद स्पेशल मेंशन लिए जाएंगे।

The House then adjourned for lunch at eighteen minutes past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at twenty-one minutes past two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

Suicide by farmers in Andhra Pradesh

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Special Mentions. Shrimati Chandra Kala Pandey.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I have given a notice in the morning. The hon. Chairman was pleased to permit me to raise the issue pertaining to the suicides of farmers in Andhra Pradesh.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We Will be having a structured discussion and then we can take it up.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, he had kindly consented for the mention in the House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Just mention it in a minute.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, just two minutes. After the new Government took over in Andhra Pradesh, about 1883 farmers have committed suicides.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have already mentioned it.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, the situation is very grave. Farmers are not getting any loans from the banks and pivate lending is not available since a moratorium had been imposed. People are in distress. Everyday, on an average, ten people are commiting suicides. The situation is very grave. I request the Government of Inida to intervene and help the State of Andhra Pradesh so as to help the farmers. Otherwise,